## राष्ट्रपति पर महाभियोग

*→ राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया*

## Impeachment of the President

*→ संविधान के विरुद्ध कार्य*

- **अनुच्छेद 61 इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण (Viola- tion) किये जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) चलया जा सकता है। Article 61 According to this, if the President violates the Constitution, impeachment can be initiated against him.**

*→ महाभियोग का प्रस्ताव (Motion of Impeachment) ⇒ पेश (Introduced)*
*→ either House of Parliament*
*संसद के किसी भी सदन*

- महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है । Impeachment is a quasi-judicial process conducted by the Parliament.
  - USA से लिया है।
- महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।" A motion of impeachment can be introduced in either House of Parliament."

① → प्रस्ताव की सूचना (Notice) राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देगी।

↳ LS ⇒ 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर

ex. Motion (प्रस्ताव) → Introduced in LS

② LS में पेश

③ चर्चा (Debate) LS में (MP's)

④ पारित (Pass) ⇒ 2/3 Majority / 2/3 बहुमत से

RS → ① पेश (Introduced)

② चर्चा (Debate)

③ Pass ⇒ 2/3 Majority

LS ⇒ 543

543 × 50% + 1

↳ उपस्थित और मतदान

Present & Voting × 2/3

# राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति
# (Fulfill the Vacancy of President)
## अनुच्छेद 62

पद ⇒ रिक्त कब होगा ? ⇒ भरने के लिए 6 माह अंदर ⇒ निर्वाचन।

- मृत्यु
- त्यागपत्र
- महाभियोग
- अन्य कारण

⇒ कार्यवाहक राष्ट्रपति

Acting President ⇒ राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है।

- कार्यकाल (Tenure) ⇒ 6 Month's / 6 माह

## कार्यवाहक राष्ट्रपति

→ उपराष्ट्रपति (Vice-President) → ये पद भी रिक्त है। ↱ पद रिक्त

→ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। (chief justice of Supreme court)

→ " " " वरिष्ठतम् " (Most senior judge of S. Court)

(33) → other judges

⇒ 1967 ⇒ राष्ट्रपति ⇒ डा० जाकिर हुसैन

↳ 1967-(1969) → Death मृत्यु

1969 ⇒ उपराष्ट्रपति ⇒ वी० वी० गिरि। → त्यागपत्र

→ chief justice of S. court

↳ 1969 ⇒ एम० हिदायतुल्ला

↳ कार्यवाहक राष्ट्रपति

- यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जायेगा । If the post of President falls vacant due to death, resignation, impeachment or any other reason, then elections will be held within 6 months to fill it.

- जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारण से) रिक्त होता है तो उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। When the office of the President falls vacant accidentally (due to death, resignation, removal or any other cause), the Vice-President acts as Acting President.

- उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्तता की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। If the post of Vice President is also vacant, then the Chief Justice of India and in the event of vacancy of the post of Chief Justice, the senior-most judge of the Supreme Court acts as the acting President.

- एम० हिदायतुल्लाह भारत के एक मात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था । M. Hidayatullah is the only Chief Justice of India who served as Acting President from 20 July 1969 to 24 August 1969.

## राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद / उपराष्ट्रपति

- अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा। Article 71 states that disputes relating to the election of the President and Vice-President shall be decided by the Supreme Court and its decision shall be final.

Q ⇒ यदि किसी राष्ट्रपति चुनावों में विवाद के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा हटाया जाता है तो उसके द्वारा किये गये कार्य वैद्य (valid) होंगे या अवैद्य (Invalid).

Ans. valid (वैद्य)

# राष्ट्रपति की शक्तियाँ
# Powers of President

## कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Power)

- **अनुच्छेद - 53**
- अनु. 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं According to Article 77, all executive actions of the Government of India are performed in the name of the President.

PM + CoM ⇒ कार्य ⇒ नाम ⇓ राष्ट्रपति

❖ वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। **He appoints the Prime Minister of India and other key officials of the Union.**

↳ राष्ट्रपति

नियुक्तियां
→ ① PM (प्रधानमंत्री)
→ ② COM (मंत्रिपरिषद्)
→ ③ महान्यायवादी (Attorney General)
→ ④ Governor (राज्यपाल)
→ ⑤ Judges of Supreme or High Court
⑥ UPSC (Union Public service Commission)
↳ अध्यक्ष और सदस्य
⑦ वित्त आयोग (अध्यक्ष + सदस्य)
⑧ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त
etc.

## विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

- संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य सभा तीनों से मिलकर होता है* (अनुच्छेद-79)

Parliament is formed by the President, Lok Sabha and Rajya Sabha* (Article 79)

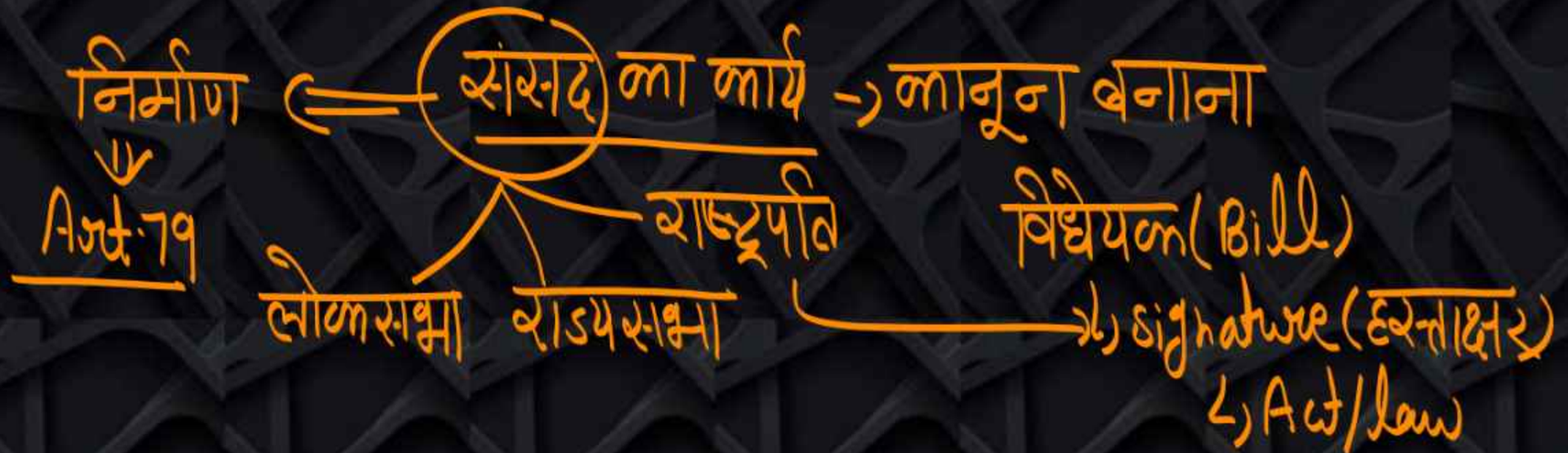

- राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है The President has the power to summon the Parliament and announce its prorogation.

सत्र/अधिवेशन बुलाना।

बैठकें

सत्र का अंत (End of session)

→ 12 Months

- राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। The President is bound to convene at least two meetings of the Parliament in a year.

## सत्र - 3

बजट सत्र (Budget session)
मानसून सत्र (Monsoon " )
शीतकालीन सत्र (winter " )

=> कम से कम 2

⇓

1 वर्ष में (12 Months)

1 session सत्र ——————— IInd सत्र

⇓

अधिकतम अंतराल (Maximum Gap)

↳ 6 माह / Months

**अनुच्छेद - 85 - लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है Article 85 - Lok Sabha can be dissolved before its fixed term**

↳ राष्ट्रपति द्वारा भंग (प्रधानमंत्री की सलाह पर)

लोकसभा का कार्यकाल — 2 वर्ष बाद (भंग / विघटन / Dissolved)

Tenure of LS ⇒ 5 वर्ष

**अनुच्छेद – 87** संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करता है । Article 87 addresses the joint sitting of the two Houses of the Parliament.

विशेष अभिभाषण

Bill

**अनु. 86** - संसद के किसी सदन को, लम्बित किसी विधेयक के सम्बन्ध में संदेश (Message) भेजने का अधिकार भी है । Article 86- There is also the right to send a message to either House of Parliament regarding a pending bill.

Art. 108 ⇒ राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं।
President called the joint session of Parliament.

## ❖ अनुच्छेद-111

⇓

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

⇒ राष्ट्रपति इन वीटो शक्तियों का प्रयोग विधेयक पर करते हैं।

↳ Bills

(1) साधारण विधेयक (ordinary Bill) ⇒ 3 veto Powers का प्रयोग

(2) धन विधेयक (Money Bill) ⇒ Absolute veto, Pocket veto use (आत्यांतिक, पॉकेट वीटो)

(3) संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill) ⇒ कोई वीटो Power का प्रयोग नहीं।

1. आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto) → जब राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे।
2. निलम्बनकारी वीटो ( Suspension Veto)
3. जेबी वीटो (Poket Veto)

⇓

जब राष्ट्रपति विधेयक को रखकर भूल जाते हैं।

⇓

USA ⇒ ज्ञानी जैल सिंह

1986 ⇒ डाकघर संशोधन विधेयक (Post office Amendment Bill)

⇓

जब राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार के लिए LS और RS को भेज दे।

⇒ लेकिन पुनर्विचार के पश्चात् बिल यदि राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।

Art. 123 ⇒ अध्यादेश (ordinance)

↳ क्या होता है? ⇒ यह संसद के कानून की तरह (It's Like law of Parliament)

↳ कौन जारी? ⇒ राष्ट्रपति द्वारा जारी (issued by the President)

↳ क्यों जारी? ⇒ जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से एक सदन सत्र में न हो (कार्य न कर रहा हो।)

↳ अध्यादेश पर LS और RS का अनुमोदन (Approval) ⇒ सदनों के दोबारा कार्य करने के दिन से 6 सप्ताह (6 weeks) के अंदर -

↳ ✓ → Act/law

↳ ✗ → समाप्त

⇒ अध्यादेश की अधिकतम अवधि (बिना अनुमोदन) ⇒ 6 Months, 6 weeks
6 माह, सप्ताह

## न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

- क्षमादान की शक्ति- अनुच्छेद-72 के तहत् राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। Power of Pardon: Under Article 72, the President has been given the power of pardon.

- राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलम्बन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है The President can pardon or grant reprieve, remission, respite or commute the punishment of a person convicted of any offence

- परामर्श का अधिकार- अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Consult) का अधिकार दिया गया है Right to Consultation- Article 143 gives the President the right to consult the Supreme Court

- किन्तु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है But he is not bound to accept the opinion of the Supreme Court

## वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

- भारत की 'आकस्मिक निधि' (Contingency fund ) पर भी उसका नियन्त्रण होता है । He also has control over India's 'Contingency Fund'.

अनु. 280 उसे एक वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त करने का भी अधिकार है Article 280 He also has the power to appoint a Finance Commission

## सैन्य शक्तियाँ (Military Powers )

- भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है, The President of India is the Commander-in-Chief of the three armed forces (Army, Air Force and Navy).

- उसे युद्ध घोषित करने तथा शान्ति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। He has the power to declare war and establish peace.

- वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है He also appoints the three army chiefs

## राजनयिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)

- राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है Appoints ambassadors and diplomatic representatives

- विदेशों से संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं, Treaties and agreements with foreign countries are also made in the name of the President.